

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4770 /

जबलपुर, दिनांक 11/07/2025

II-13-23/25

श्री श्रीपाल जैन, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 10.07.2025 से 10.09.2025 तक 63 दिन का सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

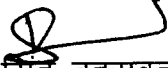
पृष्ठांकन क्रमांक C/4771 /

जबलपुर, दिनांक 11/07/2025

II-13-23/25

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक Memo No. Admin/Leave/1593/ Indore दिनांक 23/05/2025 के संदर्भ में श्री श्रीपाल जैन, वाहन चालक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)